

प्रेस नोट दिनांक 22.09.2023

(1). आज दिनांक 22.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(2). आज दिनांक 22.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में गुमशुदा एवं अपहृतों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी एवं उनकी टीम द्वारा गुमशुदा युवक को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.07.2023 को वादी श्री गंगा प्रसाद पुत्र स्व0 भंडा निवासी भानपुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना सरधुवा में सूचना दी कि उनका पुत्र शंकरलाल उमर् 31 वर्ष जो की मंदबुद्धि किस्म का है बिना बताये घर से कहीं चला गया काफी खोज किन्तु नहीं मिला। इस सूचन पर थाना राजापुर में गुमशुदगी दर्ज की गयी, प्रभारी निरीक्षक सरधुवा ने उ0नि श्री सत्यमपति त्रिपाठी को युवक की बरामदगी हेतु लगाया गया। उ0नि श्री सत्यमपति त्रिपाठी एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनांक 22.09.2023 को गुमशुदा युवक शंकरलाल उपरोक्त को सुरसेन चौराहा से सकुशल बरामद किया गया। शंकरलाल के परिजनों के थाने पर बुलाकर शंकरलाल को उनके सुपुर्द किय गया। शंकरलाल को पाकर परिजनों के चेहरे की मुस्कान लौटी एवं पुलिस का धन्यवाद दिया।

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी थाना सरधुवा
2. मुख्य आरक्षी अरविन्द सोनी
3. आरक्षी राहुल पुरी

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सुशील चन्द निगम तथा उनके हमराही द्वारा एसटी0 नम्बर 149/2021 धारा 216 भादवि0 व 12/14 डीए एक्ट के वारण्टी अभियुक्त रामसिया पुत्र सुकरू निवासी ठीका मजरा ददरी माफी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री सुशील चन्द निगम
2. आरक्षी हेमन्त साहू

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री वीर प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त रज्जन सिंह गोड़ पुत्र नेवाजी गोड़ निवासी ग्राम चूल्ही मजरा बराह माफी थाना मानिकपुर चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 अरविन्द कुमार पाण्डेय थाना मानिकपुर
2. का0 शुभम कुमार मिश्रा

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री भास्कर मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना राजापुर पुलिस ने रुपये छीने वाले 02 अभियुक्तों को छीने गये 2000/- रुपये व घटना मे प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.09.2023 को वादी श्री मोबीन अहमद पुत्र नजीर अहमद निवासी हकीमपुर खंथवा थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर द्वारा थाना राजापुर में सूचना दी कि छीबो नदी पुलिया के पास स्कॉर्पियो सवार 02 व्यक्तियों ने उन्हें जान से मारने का डर दिखा कर 2000/- रुपये छीन लिये हैं। इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0- 211/2023 धारा 386/504 भादवि पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा घटना का संज्ञान लेकर प्रभारी निरीक्षक राजापुर को तत्काल घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। मुकदमें की विवेचना उ0नि0 श्री के.डी. मिश्रा को सुपुर्द की गयी। उ0नि0 श्री के.डी. मिश्रा द्वारा आज दिनांक 22.09.2023 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सौरभ सिंह पुत्र पिंगल सिंह निवासी अगरहुंडा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 2. सत्यम त्रिपाठी पुत्र नत्थू निवासी गांव कोबरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को छीनी गई धनराशि 2000/- रुपये तथा घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो up 96 h 0630 के साथ गिरफ्तार किया गया। छीनी गयी धनराशि की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 की बढोत्तरी की गयी एवं बरामदशुदा स्कॉर्पियो वाहन को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. सौरभ सिंह पुत्र पिंगल सिंह निवासी अगरहुंडा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट
2. सत्यम त्रिपाठी पुत्र नत्थू निवासी गांव कोबरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

बरामदगी:-

छीने गये 2000/- रुपये

घटना मे प्रयुक्त स्कॉर्पियो up 96 h 0630

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री केडी मिश्रा थाना राजापुर
2. आरक्षी धीरेंद्र यादव